छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक – 327 प्रकरण क्रमांक–**SM-PAP-2025-02956**

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरूद्ध ''हर्षित हार्मोनी एक्सटेंशन'', प्रमोटर–श्री सुबोध सिंघानिया, पता–तृतीय एवं चतुर्थ तल, श्याम चेंबर, हीरापुर रोड, महोबा बाजार, रायपुर (छ.ग.) प्रोजेक्ट–''हर्षित हार्मोनी एक्सटेंशन'' पता–गुमा, जिला–रायपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
02/07/2025	– प्रकरण प्रस्तुत । – अनावेदक सुबोध सिंघानिया संप्रवर्तक द्वारा भू–संपदा प्रोजेक्ट ''हर्षित हारमोनी एक्सटेंशन'' के पंजीयन के लिए प्राधिकरण के समक्ष अधिनियम की धारा–03 के अधीन आवेदन प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत आवेदन में सक्षम प्राधिकारी नगर एवं ग्राम निवेश द्वारा स्वीकृत अनुज्ञा में उल्लेखित भूमि खसरा नंबर एवं बी–1 अर्थात् आवेदित भू–संपदा प्रोजेक्ट से संबंधित भूमिस्वामित्व संबंधित जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई, जिस पर प्राधिकरण द्वारा आवेदक को दिनॉक 19.05.2025 को सूचित करते हुए वांछित दस्तावेज प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई। समुचित समय उपरांत आवश्यक दस्तोवज अधिनियम की धारा 04 के अधीन प्रस्तुत नहीं किए जाने पर आवेदन निरस्तीकरण हेतु कारण बताओं नोटिस जारी करते हुए सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। अनावेदक की ओर से अधिकृत श्री अभिजीत सिंह द्वारा प्राधिकरण के समक्ष पक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया एवं अवगत कराया गया कि वांछित दस्तावेज शाखा में जमा किया जा चुका है, प्राधिकरण द्वार पृच्छा किए जाने पर अनावेदक प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि संबंधित भू–संपदा प्रोजेक्ट के संदर्भ में अपेक्षित भूमिस्वामित्व संबंधित भू–अभिलेख अभी उनके पास उपलब्ध नहीं है। अस्तु उनके द्वारा वांछित भू–अभिलेख शाखा में प्रस्तुत नहीं किया जा सका है। प्राधिकरण द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को अवगत कराया गया कि आवेदन दिनॉक से 30 दिवस के भीतर आवेदन का निराकरण किया जाना प्राधिकरण के लिए आवश्यक है, चूँकि प्रोजेक्ट से संबंधित भूमिस्वामित्व संबंधित भू–अभिलेख जमा नहीं किया गया है, अतः प्रोजेक्ट पंजीकरण से संबंधित आवेदन निरस्ती योग्य है। वांछित भू–अभिलेख आवेदक	

छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक – 327 प्रकरण क्रमांक–**SM-PAP-2025-02956**

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरूद्ध ''हर्षित हार्मोनी एक्सटेंशन'', प्रमोटर–श्री सुबोध सिंघानिया, पता–तृतीय एवं चतुर्थ तल, श्याम चेंबर, हीरापुर रोड, महोबा बाजार, रायपुर (छ.ग.) प्रोजेक्ट–''हर्षित हार्मोनी एक्सटेंशन'' पता–गुमा, जिला–रायपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
	के पास उपलब्ध होने पर आवेदक नये सिरे से प्रोजेक्ट पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकता है। चूँकि अनावेदक द्वारा त्रुटिपूर्ण एवं अपूर्ण पंजीयन आवेदन प्रस्तुत किया गया। अस्तु आवेदन के साथ जमा की गई आवेदन फीस शासन के पक्ष में अधिनियम की धारा–60 के अधीन राजसात की जाती है। अनावेदक द्वारा प्रस्तुत पंजीयन आवेदन निरस्त किया जाता है। – आदेश की प्रति प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड की जावे। – प्रकरण नस्तीबद्ध कर अभिलेख कोष्ठ में दाखिल किया जावे। सही / – (धनंजय देवांगन) सदस्य	